XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1495–दो/13 जिला – रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.1.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 380–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 6–3–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

समक्ष माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर•

प्रकरण क्रमांक -------------/ रिव्यू 1495-II/13

1• श्रीमति नब्बी बाई पुत्री रामलाल
पत्नी कमल सिंह

2• श्रीमति हरि बाई पुत्री रामलाल
पत्नी कमल सिंह

3• कमल सिंह आ0 भाव सिंह
समस्त निवासी ग्राम डोंगरा
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन ....प्राथी/ आवेदकगण

विरुद्ध

1• श्रीमति गोमती बाई बेवा रामलाल
निवासी पीपरपानी तहसील तेंदूखेड़ा
जिला नरसिंहपुर (फौत) (पूर्व से एकपक्षीय)

2• श्रीमति बैजन्ती बाई पुत्री रामलाल
पत्नी दशरथ सिंह निवासी तालाब के
पास उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0
(पूर्व से एकपक्षीय)

3• श्रीमति रामकली बाई पत्नी राम सेवक
पुत्री रामलाल निवासी पीपरपानी
तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर म0प्र0
(पूर्व से एकपक्षीय) ....प्रतिप्राथी/अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959:

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 380/II/2003/ में पारित आदेश दिनांक 6•3•13 एवं अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अति0आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र0क्र0 225/अपील/00-01 में पारित आदेश दिनांक 5•2•02 से व्यथित होकर यह पुर्नविलोकन आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो के तहत प्रस्तुत है:—

2••